न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – कैलाशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थनापत्र संख्या 42/2013
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

मूलाराम आत्मज श्री ठाकरराम, मेघवाल, कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....आवेदक

बनाम

1. पोकरराम आत्मज श्री अलसीराम, मेधवाल, कालियां,
2. श्रीमती तीजाबाई धर्मपत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल, मेघवाल, कालियां,
3. लखीराम,
4. भगवानदास एवं
5. धनसीराम आत्मजन स्व. श्री कन्हैयालाल, मेघवाल, कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....अनावेदकगण

उपस्थित– श्री मोहनलाल माहर (आवेदक)
श्री राजेन्द्रपाल सूद (अनावेदक–2 से 7)

दिनांक 18 अगस्त, 2015

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 3 जी बड़ी गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 5(0.13), किला नम्बर 6(0.13), किला नम्बर 15(0.13), किला नम्बर 16(0.13) कुल 2. 12 बीघा कृषि भूमि स्व. श्री कन्हैयालाल को पारिवारिक विभाजन पूर्वज स्व. श्री अलसीराम को आवंटित कृषि भमि में से प्राप्त हुई. किन्तु विभाजन के समय प्रश्नगत कृषि भमि स्व. श्री अलसीराम के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी. आवेदक की इसी चक में चिपती हुई कृषि भूमि है. पारिवारिक विभाजन में स्व. श्री कन्हैयालाल को प्राप्त प्रश्नगत कृषि भूमि को वर्ष 1990–1991 से निरन्तर आवेदक द्वारा ही काश्त किया जाता रहा है. स्व. श्री कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी कब्जा प्राप्त करने सम्बन्धी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी व न ही उसके वारिसान अनावेदक संख्या 2 से 5 द्वारा की गयी है इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि पर आवेदक का प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है. अनावेदक संख्या 2 से 5 द्वारा कभी भी आवेदक द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत की गयी किसी भी कार्यवाही का विरोध नहीं किया गया इस प्रकार अनावेदक संख्या 2 से 5 आवेदक के कब्जा से सहमत हैं इस प्रकार अनावेदक संख्या 2 से 5 के खातेदारी अधिकारों का समर्पण आवेदक के हक में कर दिया है इसलिये आवेदक प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाकर खाता विभाजित करवाने का अधिकारी है. स्व. श्री अलसीराम एकल खातेदार की मृत्योपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरकरण दर्ज किया गया है

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

तथा वर्तमान में कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है. जिस पर मौका पर आज भी आवेदक का प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है. चूंकि राजस्व अभिलेखों में विरासतन नामान्तरकरण के पश्चात प्रश्नगत कृषि भूमि अनावेदक संख्या 2 से 5 के नाम पर दर्ज है जिनके द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विकय कर अन्तरित करेंगे. इस प्रकार आवेदक द्वारा चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 5, 6, 15, व 16 की कुल 2.12 बीघा कृषि भूमि में अनावेदकगण के विरूद्व अनावश्यक हस्तक्षेप करने एवं बंधक, विकय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2059, उपतहसीलदार, हिन्दूमलकोट के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 19 मार्च, 2007 मय रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 21 मार्च, 2007, पटवारी हल्का द्वारा संधारित दैनिक डायरी दिनांक 21 मार्च, 2007 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1, 2, 4 एवं 5 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 3 की तलबी हेतु जारी नोटिस पर उसकी मृत्यु होने की टिप्पणी प्राप्त.

अनावेदक संख्या 2, 4 एवं 5 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 09 अक्तूबर, 2007 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आवेदकगण के दादा श्री अलसीराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों सर्व श्री पोकरराम एवं श्री कन्हैयालाल के मध्य कृषि भूमि का विभाजन नहीं किया गया. व न ही विभाजन स्वरूप श्री कन्हैयालाल को चक 3 जी बड़ी गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 5(0.13), किला नम्बर 6(0.13), किला नम्बर 15(0.13), किला नम्बर 16(0.13) कुल 2.12 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई. श्री अलसीराम के नाम पर चक 3 जी बड़ी गांव कालियां में मुरब्बा नम्बर 58 में 2.708 हैक्टर कृषि भूमि थी जिनकी मृत्योपरान्त स्व. श्री अलसीराम के आठ वारिसान के नाम पर राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण दर्ज किया गया. जिसमें श्री कन्हैयालाल की मृत्यु हो जाने के कारण श्री कन्हैयालाल के 1/8 हिस्सा अर्थात 1.06 बीघा स्व. श्री कन्हैयालाल के 4 वारिसों के नाम पर दर्ज की गयी. इस प्रकार स्व. श्री कन्हैयालाल के हिस्सा की कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा रहा है. जिस पर कभी भी मूलाराम का कब्जा नहीं रहा व न ही प्रतिकूल कब्जा है. प्रश्नगत कृषि भूमि कभी भी अकेले स्व. श्री कन्हैयालाल अथवा स्व. श्री कन्हैयालाल के वारिसान के अधिपत्य में नहीं रही बल्कि समस्त वारिसान का संयुक्त अधिपत्य एवं कब्जा में रही है ऐसी स्थिति में अनावेदकगण द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों के समर्पण का कोई प्रश्न ही विद्यमान नहीं है. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया बल्कि जानबूझ कर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्रश्नगत कृषि भूमि क अन्य खातेदारान एवं काश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है. आवेदक द्वारा श्री लखीराम को अप्रार्थी संख्या 3 बनाया गया है जबकि श्री लखीराम की करीब 2 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते

प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत समस्त खातेदारान एवं सह काश्तकारान द्वारा माननीय न्यायालय के समख विभाजन हेतु वाद संख्या 41/2002 लम्बित है जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पूर्व में ही जारी किया गया है. यदि आवेदक प्रश्नगत कृषि भूमि पर वर्ष 1990–91 से काबिज होता तो वाद संख्या 41/2002 में आवश्यक पक्षकार होता जिसे मा. न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की जानकारी होती. इस प्रकार आवेदनपत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया. अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अतिकमी को किसी भी प्रकार के अधिकार उपलब्ध नहीं हो सकते, ऐसी परिस्थिति में, आवेदनपत्र अस्वीकार किया जाता है.

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18 अगस्त, 2015 को जारी किया गया.

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर